



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1) विभाग

क्रमांक : प.5(3)कार्मिक/क-1/2024

जयपुर, दिनांक : 31-12-2024

आज्ञा

श्रीमती टी. जे. कविथा (2000), आई.एफ.एस. को भारतीय वन सेवा की मुख्य वन संरक्षक वेतन श्रृंखला से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतन श्रृंखला (Level 15 in Pay Matrix) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री सुगना राम जाट (2011), आई.एफ.एस.; सुश्री सोनल जोरिहार (2011), आई.एफ.एस.; श्री आशुतोष ओझा (2011), आई.एफ.एस.; श्री संग्राम सिंह कटियार (2011), आई.एफ.एस.; श्रीमती मोनाली सेन (2011), आई.एफ.एस.; श्री उपकार बोराना (2011), आई.एफ.एस. एवं श्री गणेश कुमार वर्मा (2011), आई.एफ.एस. को भारतीय वन सेवा की चयन वेतन श्रृंखला से वन संरक्षक वेतन श्रृंखला (Level 13A in Pay Matrix) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

डॉ. कविता सिंह (2012), आई.एफ.एस.; श्री अजय चित्तौड़ा (2012), आई.एफ.एस.; डॉ. एस. सारथ बाबू (2012), आई.एफ.एस.; श्री अशोक कुमार महरिया (2012), आई.एफ.एस.; श्री हरि किशन सारस्वत (2012), आई.एफ.एस.; श्री देवेन्द्र प्रताप जागावत (2012), आई.एफ.एस.; श्री संजय प्रकाश भादू (2012), आई.एफ.एस.; श्री रमेश कुमार मालपानी (2012), आई.एफ.एस.; श्री राजेन्द्र कुमार हुड्डा (2012), आई.एफ.एस.; श्री महेन्द्र कुमार शर्मा (2012), आई.एफ.एस.; श्री सुदर्शन शर्मा (2012), आई.एफ.एस. एवं श्री मुकेश सैनी (2012), आई.एफ.एस. को भारतीय वन सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला से चयन वेतन श्रृंखला (Level 13 in Pay Matrix) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।


श्री विजय शंकर पाण्डे (2016), आई.एफ.एस.; श्री श्रवण कुमार आर. (2016), आई.एफ.एस.; श्री वैकदोथ छेथन कुमार (2016), आई.एफ.एस.; श्री सुरेश कुमार आबुसरिया (2016), आई.एफ.एस.; श्री वीरेन्द्र सिंह जोरा (2016), आई.एफ.एस. एवं श्री जिनेश शर्मा (2016), आई.एफ.एस. को भारतीय वन सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला (Level 12 in Pay Matrix) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री राहुल झाझडिया (2021), आई.एफ.एस.; श्री कुमार शुभम (2021), आई.एफ.एस. एवं श्रीमती मृदुला सिंह (2021), आई.एफ.एस. को भारतीय वन सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला (Level 11 in Pay Matrix) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

उपरोक्त सभी अधिकारीगण आगामी आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

यह आज्ञा दिनांक 01.01.2025 से प्रभावी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


31/12/2024
(कनिष्क कटारिया)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 9 अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 10 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
- 11 संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय से कार्यमुक्त होने वाले अधिकारीगण के गत भुगतान प्रमाण-पत्र (LPC) की प्रति एवं उपरोक्त पद हेतु उन्हें भुगतान किए गए वेतन के आधार पर सेवा सत्यापन की सूचना (प्रपत्र GA-141 में) इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
- 2 मुख्य आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।


संयुक्त शासन सचिव